

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 780/2013)

(संस्थित दिनांक :- 30/09/13)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. प्रान्सू उर्फ निखिल भदौरिया पुत्र केशू भदौरिया उम्र 26 वर्ष  
निवासी : थाने के सामने गोरमी, थाना-गोरमी, जिला-भिण्ड।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

( आज दिनांक :- 05/05/2017 को घोषित )

01. आरोपी प्रान्सू पर धारा :- 323/34 एवं 324/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 09/09/2013 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी की चाय की दुकान सब्जी मण्डी मालनपुर में सार्वजनिक स्थान पर, सहअभियुक्त सुमित के साथ मिलकर फरियादी बंटी एवं सोनू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्तगण ने लात-धूसों एवं धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी बंटी एवं उसके भाई सोनू की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 09/09/2013 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी की चाय की दुकान सब्जी मण्डी मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, आरोपीगण प्रान्सू एवं सुमित द्वारा फरियादी बंटी एवं उसके भाई सोनू की लात-धूसों एवं धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी बंटी द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना पंजीबद्ध की गई और फरियादी बंटी का मेडीकल कराया गया। फरियादी बंटी के मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट में किसी धारदार आयुध से चोट होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 202/13 अन्तर्गत धारा 323 एवं 324 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। आरोपीगण से एक-एक कुल्हाड़ी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाये गये। फरियादी बंटी एवं आहत/साक्षी सोनू एवं सतेन्द्र सिंह के कथन

लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. आरोपीगण प्रान्सू उर्फ निखिल के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 323/34 एवं 324/34 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त प्रान्सू उर्फ निखिल के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं घटना दिनांक मौके पर मौजूद ना होना एवं दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपी प्रान्सू उर्फ निखिल ने दिनांक : 09/09/2013 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी की चाय की दुकान सब्जी मण्डी मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, सहअभियुक्त सुमित के साथ मिलकर फरियादी बंटी एवं सोनू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त प्रान्सू ने लात-धूसों एवं धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी बंटी एवं उसके भाई सोनू की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी बंटी अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी सुमित परिहार एवं प्रांशु भदौरिया को जानता है, क्योंकि दोनों आरोपीगण मालनपुर के रहने वाले हैं और वह भी मालनपुर में ही रहता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 28/04/2015 से दो-तीन साल पहले की शाम के 06-07 बजे की है। उस दिन वह अपनी दुकान मालनपुर में था, उसके साथ उसका भाई सोनू भी था। तब आरोपीगण आये और उससे 400/- रुपये मांग रहे थे, तो उसने कहा कि उसने 400/- रुपये तो पहले ही दे दिये हैं। इसी बात पर आरोपीगण ने गालियाँ देना शुरू कर दी, तब उसने कहा कि उसे क्यों गाली दे रहे हो, तब इसी बात पर सुमित भदौरिया ने कुल्हाड़ी मारी, जो उसके हाथ में लगी और प्रांशु ने उसकी थाप-धूसों से मारपीट की थी, तब उसका भाई सोनू बचाने के लिए आया तो सुमित ने उसकी धूसों से मारपीट की। साक्षी आगे कहता है कि सुमित ने सोनू की उंगली में काट लिया था और सोनू की पीठ में चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग

पर उसके हस्ताक्षर है। उसका गोहद अस्तपाल में ईलाज हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

08. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी बंटी अ.सा.02 ने आरोपी सुमित द्वारा उसके हाथ में कुल्हाड़ी मारे जाने का और आरोपी प्रांशु द्वारा उसकी थाप-घूसों से मारपीट किये जाने का तथ्य बताया है, जबकि स्वयं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 में उसने आरोपी प्रांशु द्वारा कुल्हाड़ी से मारने का तथ्य बताया है, ना कि आरोपी सुमित द्वारा। आहत बंटी के भाई सोनू अ.सा.03 ने भी उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी सुमित द्वारा बंटी को कुल्हाड़ी मारे जाने का तथ्य बताया है, ना कि आरोपी प्रांशु द्वारा। इस प्रकार आरोपी प्रांशु या सुमित में से किसके द्वारा आहत बंटी अ.सा.02 पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया था, इस वावत् बंटी अ.सा.02, सोनू अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों तथा बंटी अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

09. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी बंटी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि जब उसका भाई सोनू अ.सा.03 उसे बचाने आया तो आरोपी सुमित ने सोनू की उंगली में काट लिया। जबकि स्वयं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 में आरोपी सुमित द्वारा सोनू अ.सा.03 को दांतों से उंगली में काट लिये जाने का कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है, बल्कि प्र.पी.02 की रिपोर्ट में सुमित द्वारा सोनू की बाये हाथ की छोटी वाली उंगली में कुल्हाड़ी से प्रहार करने का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि सोनू अ.सा.03 ने भी उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुमित द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी छोटी उंगली में प्रहार किये जाने का तथ्य बताया है। इस प्रकार सोनू अ.सा.03 को सुमित द्वारा कुल्हाड़ी से प्रहार कर चोट पहुँचाई गई थी या दाँत से काटकर चोट पहुँचाई गई थी, इस वावत् बंटी अ.सा.02, सोनू अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों तथा बंटी अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

10. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी बंटी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण उसकी दुकान पर आये और उससे 400/- रुपये मांगने लगे, तो उसने कहा कि 400/- रुपये तो वह पहले ही दे चुका है, इस बात पर आरोपीगण ने उसे गालियाँ देना शुरू कर दिया। जबकि बंटी अ.सा.02 के भाई सोनू अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि घटना वाले दिन सुमित सबसे पहले आया और गाली देकर चला गया, उसके 10-15 मिनट बाद सुमित शराब पीकर दुबारा आया और साथ में एक लड़का आया और वह उसे गाड़ी से उतारकर चला गया। इस प्रकार आरोपी सुमित आरोपित घटना के समय अकेला आया अथवा आरोपी प्रांशु के साथ आया था या आरोपी सुमित घटनास्थल पर दो बार आया था, इस तथ्य के संबंध में बंटी अ.सा.02, सोनू अ.सा.03 के न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

11. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी बंटी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण उसकी दुकान पर आये और उससे 400/- रुपये मांगने लगे, तो उसने कहा कि 400/- रुपये तो वह पहले ही दे चुका है, इस बात पर आरोपीगण ने उसे गालियाँ देना शुरू कर दिया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में बंटी अ.सा.02 का कहना है कि उसने कम्पनी में नौकरी करते समय आरोपीगण से 400/- रुपये उधार लिये थे, जो कि उसने तीन-चार दिन बाद वापस कर दिये थे। उसने आरोपीगण के चार सौ रुपये से अधिक उधार नहीं लिया था और ना ही उक्त बात रिपोर्ट प्र.पी.02 में लिखाई थी। जबकि बंटी अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 में बंटी अ.सा.02 ने यह लेख कराया है कि आरोपीगण द्वारा उससे भट्टी के 450/- रुपये मांगे जाने पर उसने आरोपीगण से कहा था, कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, फिर कभी दे दूंगा। उल्लेखनीय है कि बंटी अ.सा.02 के भाई सोनू अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपीगण द्वारा 400/- रुपये की मांग बंटी अ.सा.02 से किये जाने का कोई तथ्य दर्शित नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके भाई बंटी अ.सा.02 ने घटना के 20-25 दिन पहले आरोपी सुमित से 440/- रुपये में भट्टी खरीदी थी, जिसका पैसा मांगने आरोपीगण सुमित एवं प्रांशु आये थे। जबकि बंटी अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भट्टी के 440/- रुपये आरोपीगण द्वारा मांगे जाने का कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि बंटी अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह कहना है कि आरोपीगण द्वारा 400/- रुपये मांगे जाने पर उसने कहा था कि वह 400/- रुपये पहले ही दे चुका है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के संबंध में बंटी अ.सा.02, सोनू अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में बंटी अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी ने उसे जो कुल्हाड़ी मारी थी, उससे उसका हाथ कट गया था, यह बात उसने पुलिस को बता दी थी, हाथ छिलने वाली बात पुलिस को नहीं बताई थी। जबकि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 में आरोपी प्रांशु द्वारा मारी गई कुल्हाड़ी से उसके दोनों हाथों की कलाई में छिलन होने का तथ्य लिखा हुआ है। इस प्रकार इस वावत् बंटी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. कथना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी सतेन्द्र अ.सा.05 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी प्रांशु द्वारा आहत बंटी अ.सा.02 की कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन

कथा का समर्थन नहीं किया है। बल्कि उसने घटना का समय अभियोजन कथा के अनुसार साढ़े छः बजे का ना होकर दोपहर 12-01 बजे का होना दर्शित किया है। फलतः इस साक्षी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रधान आरक्षक श्याम प्रताप सिंह अ.सा.06 ने फरियादी बंटी द्वारा पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.02 लेखबद्ध कराये जाने के तथ्य तथा सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम जाट अ.सा.04 ने प्रकरण की विवेचना उसके द्वारा किये जाने के संबंध में कथन किये हैं।

14. डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 ने दिनांक : 09/09/2013 को आहत बंटी का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने का तथ्य दर्शित किया है। जिसमें उसकी दाहिनी एवं बाई अग्रभुजा में 20 सतही कटे घाव होने का तथ्य दर्शित किया है और प्रति-परीक्षण में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें स्वकारित हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि आहत बंटी अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी उसके हाथों पर 20 कटे घाव होने का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए चिकित्सीय परीक्षण के समय उसके हाथों पर सतही किस्म के 20 कटे घाव होना उक्त घावों के स्वकारित होने की संभावना दर्शित करते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अभियोजन कथा के अनुसार बंटी अ.सा.02 के भाई सोनू अ.सा.03 को भी कुल्हाड़ी अथवा दौतों से चोट कारित होने का तथ्य दर्शित किया गया है, परन्तु सोनू अ.सा.03 का उक्त चोटों के संबंध में कोई मेडीकल परीक्षण नहीं कराया गया, यह तथ्य भी अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी प्रान्सू उर्फ निखिल ने दिनांक : 09/09/2013 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी की चाय की दुकान सब्जी मण्डी मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, अभियुक्त सुमित के साथ मिलकर फरियादी बंटी एवं सोनू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त प्रांशू उर्फ निखिल ने लात-धूसों एवं धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी बंटी एवं उसके भाई सोनू की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।

### **अंतिम निष्कर्ष**

16. अभियोजन आरोपी प्रान्सू उर्फ निखिल के विरुद्ध धारा 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त प्रान्सू उर्फ निखिल को धारा 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

17. अभियुक्त प्रान्सू उर्फ निखिल की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में आरोपी सुमित पुत्र महेपाल सिंह परिहार को फरार घोषित कर उसके विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया है, उक्त आरोपी के संबंध में विचारण एवं निर्णय शेष है। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जायें और इसी कारण प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति निराकरण संबंधी कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद